राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/सीलिंग/3327/2006/बूँदी

गोपी पुत्र भीवा (फौत) जरिये कायम मुकाम :-
1 रामनारायण पुत्र गोपी
2 ग्यारसी पत्नी रामनारायण
जाति धाकड़ निवासी ग्राम हरीपुरा तहसील केशवरायपाटन जिला बूँदी

.....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बूँदी

...रेस्पोडेन्ट

एकल पीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित-
श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलार्थी
श्रीमती पूनम माथुर, राजकीय अभिभाषक रैस्पो0

दिनांक : 8.10.2020

निर्णय

हस्तगत अपील कृषि जोतों पर अधिकतम जोत अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 23 (2-ए) के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बूँदी द्वारा प्रकरण संख्या 11/06 बउनवानी सरकार बनाम गोपी में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2006 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि गोपी पुत्र भीवा के विरूद्ध कृषि जोतों पर अधिकतम अधिरोपण अधिनियम (पुराना नियम) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए सहायक कलक्टर बूँदी ने निर्णय दिनांक 30. 05.1970 के द्वारा भूमि अधिग्रहण कर सिवाय चक दर्ज करने के आदेश दिए जिसके उपरान्त तहसीलदार केशवरायपाटन ने दिनांक 23.02.2005 से विभिन्न व्यक्तियों को आवंटित की गई। प्रकरण रिओपन किया जाकर कृषि जोतों पर अधिकतम अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 15 (2) के तहत कार्यवाही होने पर अतिरिक्त कलक्टर (सिलिंग) बूँदी ने आक्षेपित आदेश दिनांक 08.05.2006 के द्वारा 251 बीघा 16 बिस्वा भूमि अधिकरण कर सिवाय चक दर्ज करने का आदेश पारित किया है जिसके विरूद्ध मंडल के समक्ष हस्तगत अपील प्रस्तुत कि गई है।

3- उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4- बहस के दौरान योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित अपीलाधीन आदेश पारित करते समय इस बिन्दु पर गौर नहीं किया कि सहायक कलक्टर के निर्णय दिनांक 30.05. 1970 के द्वारा सीलिंग सीमा से अधिक भूमि को अधिग्रहण किया जा चुका था और तहसीलदार, केशवरायपाटन के आदेश दिनांक 23.02.2005 से विभिन्न व्यक्तियो को आवंटन किया जा चुका था। जब भूमि

अधिग्रहण कर विभिन्न व्यक्तियों को आवंटित हो चुकी थी तो उसे पुनः किस प्रकार से अधिग्रहण किया जा सकता है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी के पास मात्र 40 बीघा भूमि है जो सिलिंग सीमा से अधिक नहीं है । 152 बीघा 2 बिस्वा कुल भूमि माणकचंद पुत्र कन्हैया, गुलाबचंद पुत्र फूंदीलाल, गौमदा पुत्र भंवरा को रहन रखी गई थी, जो उनके कब्जे हैं और रहन से बागुजाश्त की अवधि समाप्त हो चुकी है। अतः इस भूमि को असैसी की भूमि के साथ क्लब नहीं किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 251 बीघा 16 बिस्वा भूमि को सिवाय चक दर्ज करने का आदेश अविधिक रूप से पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि स्टैण्डर्ड एकड़ गणना करने में भूल की है। असैसी का पुत्र रामनारायण दिनांक 01.04.1966 को बालिग था और पैतृक सम्पति होने से जन्म से उसका अधिकार था। अतः रामनारायण को अलग यूनिट के रूप में माना जायेगा। जबकि गलत प्रकार से पिता गोपी के साथ क्लब कर दिया गया है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय नियमो के विपरित है जिसे निरस्त किया जाये और अपील स्वीकार की जाये।

5– प्रत्युत्तर में योग्य राजकीय अधिवक्ता रैस्पो0 ने कथन किया कि राज्य सरकार के आदेश के अनुसार प्रकरण को रि–ओपन कर कार्यवाही की गई है जो सही है। योग्य अधिवक्ता का कथन रहा है कि दिनांक 01.04.1966 को भूमिधारी जीवित था और उसके परिवार में 5 से अधिक सदस्य नहीं थे। राहिन को अभी तक खातेदारी प्राप्त नहीं हुई है अतः यह भूमि भूमिधारी की भूमि के साथ ही क्लब की जायेगी। भूमिधारी 60 बीघा भूमि धारित करने का ही पात्र है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की विधिक भूल नही होने से अपील खारिज की जाये।

6– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन, अध्ययन किया गया।

7– प्रकरण में परीक्षण पर सुस्पष्ट है कि राज्य सरकार के ध्यान में लाये जाने पर कृषि जोतों पर अधिकतम जोत अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 15 (2) के तहत अतिरिक्त कलक्टर सीलिंग) बूँदी द्वारा असैसी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से सुस्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2019 से 2020 के अनुसार भूमिधारी के पास 311 बीधा 16 बिस्वा भूमि थी जिसमें से 152 बीघा 17 बिस्वा राहिन की गई। कानूनन राहिन की गई भूमि एक निर्धारित अवधि के उपरान्त स्वतः ही रहन से बागुजाश्त होना माना जाता है। राजस्व रिकार्ड से भी स्पष्ट है कि राहिन को इस भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना उचित है कि यह भूमि भूमिधारी की भूमि के साथ ही जोड़ी जाने योग्य है। अपीलार्थी निर्धारित दिनांक को घोषणा पत्र के अनुसार 3 सदस्य मान्य होने से वह केवल एक युनिट भूमि धारित करने का पात्र है। ग्राम हरिपुरा चबंल कमाण्ड के प्रथम ग्रुप का ग्राम होने से और निर्धारित दिनांक 01.04.1966 को भूमिधारी के पास 311.16 बीघा भूमि होने से भूमिधारी 60 बीघा भूमि धारणा का पात्र व अधिकारी है और शेष 251.16 बीघा भूमि सिलिंग सीमा अधिग्रहित भूमि साबित होती है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस 251.16 बीघा भूमि को अधिग्रहित कर सिवाय चक दर्ज करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है इसमे किसी प्रकार की तथ्यात्मक या विधिक भूल नही है। अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील के स्तर पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे कि अपील के माध्यम से

अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप वांछित हो। अपील सारहीन होना प्रतीत होती हैं।

8– फलतः उपरोक्त विवेचन व विधिक प्रावधानों के अनुसरण में अपील अपीलार्थी **खारिज** की जाती है और न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बूँदी द्वारा प्रकरण संख्या 11/06 बउनवानी सरकार बनाम गोपी में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2006 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य